

क्रमांक :- 397

दिनांक :- 09-06-2026

श्रीमान उपवन संरक्षक
बारां

विषय :- जनपद बारा में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत (प्रकरण संख्या FP/RJ/ROAD/7000/2014) गोरधनपुरा से कालीमाटी तक सड़क निर्माण हेतु 2.98 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अन्तिम स्वीकृति हेतु।

सन्दर्भ :- पी.सी.सी.एफ एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) का पत्र क्रमांक एफ. 14()2014/बारां/रोड्स/एफसीए/प्रभुवसं/240 दिनांक 21.01.2025 एवं क्षेत्रीय कार्यालय गांधीनगर के पत्र दिनांक 17.03.2024 के क्रम में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के क्रम में दिनांक 04.08.2016 द्वारा भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उक्त के क्रम में उपवन संरक्षक बारां द्वारा 18.04.2019 को 23,54,498/- रुपये की डिमाण्ड राशि जारी की गई जिसका भुगतान विभाग द्वारा 23 अप्रैल 2019 को कैम्पा खाते में जमा करा दिया गया था तथा समस्त बिन्दुओं की पूर्ति कर कम्पलाईन्स रिपोर्ट कार्यालय के पत्रांक दिनांक 25.04.2019 को जमा करा दी गई थी। विभाग द्वारा भुगतान कर दिये जाने तथा गैर वन भूमि आवंटित कर दिये जाने के उपरान्त कार्य जनपयोगी होने के क्रम में सड़क निर्माण कार्य शुरु कर 19.08.2020 को पूर्ण कर दिया गया था। जिसकी अन्तिम स्वीकृति के क्रम में प्रधान वन संरक्षक अरण्य भवन जयपुर कार्यालय में दिनांक 18.08.2023 में Review of work pending due to forest clearance of PWD Baran Project के दौरान उक्त कार्य का निस्तारण दण्डात्मक राशि की गणना कर डिमाण्ड द्वारा राशि 14,05,868 रुपये जमा करा कर अन्तिम स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया था। कार्यालय उप वन संरक्षक बारां द्वारा उक्त के क्रम में दिनांक 22.01.2024 को जारी डिमाण्ड का भुगतान विभाग द्वारा 05.02.2024 को जमा करा दिया गया था तथा उक्त के क्रम में समस्त दस्तावेज विभाग द्वारा 4 प्रतियों में 12.09.2024 को उप वन संरक्षक कार्यालय को भिजवा दी गई थी। उक्त प्रस्ताव को जन उपयोगी के आधार पर उक्त प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति जारी करने की कृपा करें।

संलग्न

1. बिन्दुवार शर्तों एवं बैठक कार्यवाही दिनांक 18.08.23 की प्रति।

प्राप्त
B
10-6-2026


(बसन्त कुमार गुप्ता)
अधिशाषी
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद, जिला बारां

क्रमांक :- 1543

दिनांक :- 06/12/2025 -

श्रीमान उपवन संरक्षक
बारां

विषय :- जनपद बारा में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत (प्रकरण संख्या FP/RJ/ROAD/7000/2014) गोरधनपुरा से कालीमाटी तक सड़क निर्माण हेतु 2.98 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अन्तिम स्वीकृति हेतु।

सन्दर्भ :- पी.सी.सी.एफ एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) का पत्र क्रमांक एफ. 14()2014/बारां/रोड्स/एफसीए/प्रभुवसं/240 दिनांक 21.01.2025 एवं क्षेत्रीय कार्यालय गांधीनगर के पत्र दिनांक 17.03.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के क्रम में दिनांक 23.08.2016 द्वारा भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त कार्य जन उपयोगी होने के कारण 19.08.2020 को सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिसकी अन्तिम स्वीकृति के क्रम में प्रधान वन संरक्षक अरण्य भवन जयपुर कार्यालय में दिनांक 18.08.2023 में Review of work pending due to forest clearance of PWD Baran Project के दौरान निर्णय में उक्त कार्यका निस्तारण दण्डात्मक राशि की गणना कर डिमाण्ड द्वारा राशि 14,05,868 रुपये जमा करने का निर्णय लिया गया था। कार्यालय उप वन संरक्षक बारां द्वारा उक्त के क्रम में दिनांक 22.01.2024 को जारी डिमाण्ड का भुगतान विभाग द्वारा 05.02.2024 को जमा करा दिया गया था तथा उक्त के क्रम में समस्त दस्तावेज विभाग द्वारा 4 प्रतियों में 12.09.2024 को उप वन संरक्षक कार्यालय को भिजवा दी गई थी। उक्त प्रस्ताव को जन उपयोगी के आधार पर उक्त प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति जारी करने की कृपा करें।

संलग्न

1. बिन्दुवार शर्तों एवं बैठक कार्यवाही दिनांक 18.08.23 की प्रति।



(बसन्त कुमार गुप्ता)
अधिशाषी अभियन्ता

सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड शाहबाद



बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहबाद

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

8f

अरण्य भवन, झालाना सार्वजनिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक एफ 14(PWD)एफसीए/प्रमुखस/ 7328

दिनांक 28-08-2023

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 18.08.2023 को 11:30 AM सुश्री शिखा मेहरा, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में जिला बारां के शाहबाद क्षेत्र में वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में प्रगति के संबंध में समीक्षात्मक बैठक उनके कक्ष में आयोजित की गई। जिसमें निम्नांकित अधिकारियों ने हिस्सा लिया:-

1. श्री महेश गुप्ता, मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. श्री दीपक कुमार गुप्ता, उप वन संरक्षक, बारां।
3. श्री दिनेश कुमार गुप्ता, उप वन संरक्षक, एफ0सी0ए0 कार्या0हाजा
4. श्री एम.एम. सिंघल, अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
5. श्री हरि प्रसाद मीना, अधिशाषी अभियंता, PWD, शाहाबाद।
6. श्रीमती प्रियंका मीणा, अधिशाषी अभियंता, PWD, वन विभाग सेल।
7. श्रीमती सांतवाना सिंह, सहायक अभियंता, PWD, वन विभाग सेल।

सर्वप्रथम उप वन संरक्षक एफ0सी0ए0 ने अवगत कराया गया कि बारां जिले के शाहबाद खण्ड से वन भूमि प्रत्यावर्तन के परिवेश -। पर कुल 32 प्रकरण इस कार्यालय को प्राप्त हुए हैं। जिनमें 12 प्रकरणों में अंतिम स्वीकृति, 11 प्रकरणों में सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं 9 प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं। विधिवत स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा की आवश्यकता नहीं होने एवं अन्य प्रकरणों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिए गये:-

1. प्रक्रियाधीन 9 प्रकरणों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है

S.N	Proposal no	Name of Proposal	Category	forest land	applied on	Current status
1	FP/RJ/ROAD/9251/2015	Construction of Road from Kedarkui to Muhal	Road	4.3	10.01.2015	Pending at DFO/DCF
2	FP/RJ/ROAD/40677/2020	construction of widening and strengthening of bhanwargarh to nahargarh road(MDR-47) 0/475to 19/0	Road	3.893	19.09.2020	Pending at DFO/DCF
3	FP/RJ/ROAD/150784/2022	Paraniya to Chattarganj road	Road	3.73	21.09.2022	Pending at DFO/DCF
4	FP/RJ/ROAD/6958/2014	Road Work From Bichi to Rampur Upreti	Road	2.68	8.09.2014	Pending at DFO/DCF
5	FP/RJ/ROAD/34310/2018	Construction and widening of ramgarh mata ji parikrma road	Road	9.06	18.09.2019	Pending at DFO/DCF
6	FP/RJ/ROAD/34657/2018	Construction of road chorakhari to nayagoun via maheshpur	Road	1.872	30.08.2019	Pending at Nodal officer
7	FP/RJ/ROAD/30083/2017	Construction of shahbad to rajpur road	Road	4.0	29.12.2017	Pending at Nodal officer
8	FP/RJ/ROAD/34416/2018	construction of road from ganjan to sunwas	Road	3.425	30.08.2019	Pending at Nodal officer
9	FP/RJ/ROAD/34417/2018	Construction of road from Dikwani to gadar ishartori	Road	6.21	30.08.2019	Pending at Nodal officer

उपरोक्त के क्रम में उप वन संरक्षक बारां एवं उप वन संरक्षक एफ0सी0ए0 कार्या0हाजा0 को निर्देशित किया गया कि प्राप्त प्रकरणों को एक सप्ताह में प्रोसेस कर आवश्यक कार्यवाही करे एवं यूजर एजेंसी को निर्देशित किया गया कि पुराने प्रस्ताव जिनमें सडक निर्माण किये जाने की आवश्यकता नहीं हो (उन प्रकरणों में जिनमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है) उन्हें विदग्ना किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जावे।

2. वे प्रकरण जिनमें सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी हो चुकी है:- 12 प्रकरणों में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी हो चुकी है किन्तु पूर्ण पालना अभी भी बकाया है।

बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

S.N	Proposal no	Name of Proposal	Category	forest land	applied on	Current status
1	FP/RJ/ROAD/6954/2014	Road work from Jalwara to Kishanpura	Road	2.96	08.09.2014	IP granted on 23.8.2016
2	FP/RJ/ROAD/6956/2014	Road work from Nehroopur to Jhirli	Road	3.2	19.09.2020	IP granted on 4.8.2016
3	FP/RJ/ROAD/6982/2014	Road work from Gordhanpura to Gatta	Road	2.22	7.09.2014	IP granted on 5.2.2016
4	FP/RJ/ROAD/6988/2014	Road work from Ramgarh kalapatta to Karbala Laxmipura	Road	2	8.09.2014	IP granted on 1.10.2018
5	FP/RJ/ROAD/6994/2014	Road from Khandela to halawni	Road	2.05	8.09.2014	IP granted on 04.8.2016
6	FP/RJ/ROAD/6996/2014	Road from Bhanwargarh to Ranwasi	Road	2.5	8.09.2014	IP granted on 27.12.16
7	FP/RJ/ROAD/6997/2014	Road from Kasbathana to Bmangaon	Road	5.2	8.09.2014	IP granted on 23.08.16
8	FP/RJ/ROAD/6999/2014	Road from Dkonia to Talawara	Road	7.5	8.09.2014	IP granted on 4.08.16
9	FP/RJ/ROAD/7000/2014	Road from Gordhanpura to Kalimati	Road	2.8	8.09.2014	IP granted on 4.08.16
10	FP/RJ/ROAD/7127/2014	Road from Mamlilaxmipura to Patpadi	Road	1.14	13.09.2014	IP granted on 19.01.21
11	FP/RJ/ROAD/8746/2014	Road from Rajpur Benta to Isatori	Road	2.97	18.12.2014	IP granted on 04.08.16

उक्त के संबंध में सर्व सहमति से निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

- कॉसं 7 पर अंकित प्रस्ताव में सड़क निर्माण आवश्यक नहीं होने के कारण पूर्व में सैद्धान्तिक स्वीकृति निरस्त किये जाने के प्रस्ताव में स्मरण पत्र क्षेत्रीय कार्यालय को जारी किया जावे।
- कॉसं 2 एवं 8 में वर्तमान दरों पर उप वन संरक्षक द्वारा डिमांड नोट जारी किये जा चुके हैं जिन्हें नोडल अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। यूजर एजेन्सी एक सप्ताह में राशि जमा करायी जाकर अनुपालना उप वन संरक्षक को प्रस्तुत करेंगे। उप वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक शीघ्र पालना को अग्रेषित करेंगे।
- कॉसं 3 में उप वन संरक्षक बारां 2 दिवस में डिमांड नोट जारी करेंगे एवं यूजर एजेन्सी अग्रिम कार्यवाही पूर्ण किये जाना सुनिश्चित करेंगी।
- अन्य प्रकरणों में जिनमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन हो चुका है उनमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत जारी निर्देशिका 2019 के पैरा 1.21 के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करेंगे एवं तदनुसार ही मांग पत्र जारी करेंगे उक्त कार्यवाही 15 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।
बैठक कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

दिनांक 28-08-2023

क्रमांक एफ 14(PWD)एफसीए/प्रमुवसं/

7329-22

प्रतिनिधि निर्मांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
- उप वन संरक्षक, धारां।
- श्री एन.एम. रिंघल, अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
- श्री हरि प्रसाद मीना, अधिशाषी अभियंता, PWD, शाहाबाद।

बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद

क्र.सं. :- 379

दिनांक :- 04-06-2025

सेवा में,


श्रीमान उप वन संरक्षक,
बारां।

विषय :- जनदप बरान में आर0आर0एस0एम0पी0 योजना के तहत (प्रकरण संख्या
FP/RAJ/ROAD/7000/2014) गोरघनपुरा से कालीमाटी तक सड़क निर्माण हेतु 2.98 हे० वन
भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 55 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।
संदर्भ :- पी.सी.सी.एफ. एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) का पत्र क्रमांक एफ.14(0)2014/बारां रोडस/
एफसीए/प्रमुवसं/240 दिनांक 21.01.2025

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 8 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त प्रस्ताव के क्रम में दिनांक 23.08.2016 द्वारा भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त कार्य जन उपयोगी होने के कारण 19.08.2020 को सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया। जिसके फलस्वरूप दिनांक 07.7.2023 को अरण्य भवन जयपुर कार्यालय में Review of work pending due to forest clearance of PWD Baran Project के दौरान निर्णय में उक्त कार्य का निस्तारण दण्डात्मक राशि की गणना कर डिमाण्ड द्वारा राशि 14,05,868 रुपये जमा करने का निर्णय लिया गया था। कार्यालय उप वन संरक्षक बारां द्वारा उक्त के क्रम में दिनांक 22.01.2024 को जारी डिमाण्ड का भुगतान विभाग द्वारा 05.02.2024 को जमा करा दिया गया था तथा उक्त के क्रम में समस्त दस्तावेज विभाग द्वारा 4 प्रतियों में 12.09.2024 को उप वन संरक्षक कार्यालय को भिजवा दी गई थी। उक्त प्रस्ताव को जन उपयोगी के आधार पर उक्त प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति जारी करने के कृपा करें।



(हरि प्रसाद मीना)

अधिशाषी अभियन्ता

सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड शाहबाद



बसन्त कुमार गुप्ता

अधिशाषी अभियन्ता

सार्वजनिक निर्माण विभाग

खण्ड-शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक : 691

दिनांक : 12/9/2024

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
बारां।

विषय :- गोरधनपुरा से कालीमाटी तक सड़क निर्माण हेतु 2.98 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के क्रम में।

Proposal No. :- FP/RJ/ROAD/7000/2014

प्रसंग :- श्रीमान् उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) अरण्य भवन, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ.


14()2018/बारां रोडस/एफसीए/प्रमुवसं./1487-88 दिनांक 11.06.2024 के क्रम में।

Dear Sir,

With Due respect in reference of above mention subject. We submitting the reply for the EDS Raised by Forest Department for the Proposal as follows.

S. No.	EDS Raised/Shortcomings in the proposal	Reply of EDS
A. Compliance of EDS Dated 29.07.2024 :-		
1	आप द्वारा पालना सीधे ही बिना अपनी बिन्दुवार पालना के प्रेषित की गयी है जो कि उचित नहीं है। भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण बिन्दुवार पालना प्रेषित करें।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्रांक 55 दिनांक 18.04.2024 द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अतः पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 678 दिनांक 10.09.2024 द्वारा प्रस्तुत की जा रही है।
2	प्रस्ताव में दिनांक 04.08.2016 को सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। लगभग पालना 8 वर्षों बाद पालना भेजी गयी है। पालना प्रेषित करने में हुए विलम्ब का कारण स्पष्ट करें। उप वन संरक्षक, बारां की बिन्दुवार पालना एवं No Violation Certificate अप्राप्त है।	वन विभाग द्वारा बार-बार आक्षेप लगाने एवं राज्य सरकार से NPV इत्यादि राशि देरी से प्राप्त होने के कारण बिन्दुवार पालना रिपोर्ट देरी से प्रस्तुत की गई तथा विभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त ही कार्य किया गया है। अतः Violation नहीं किया गया है।
3	NGT आदेशों के प्रति सैद्धान्तिक स्वीकृति को अखबार में छाया (प्रकाशित) कर प्रति संलग्न की जानी है।	अखबारों की प्रति पुनः संलग्न है। (प्रति संलग्न)
4	प्रकरण में प्राप्त गैर वन भूमि की नोटिफिकेशन प्रति संलग्न नहीं है।	श्रीमान् के स्तर से किया जाना है।
5	समेकित 103.4 है. का डिजीटल मानचित्र संलग्न नहीं है।	पूर्व में भी संलग्न कर दिया गया है। अब पुनः डिजीटल मानचित्र संलग्न किया जा रहा है।


बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद


अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

पालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक : 678

दिनांक : 10/9/2024

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
बारां।

विषय - जनरल वारन मे आर०आर०एर०एग०पी० योजना के तहत (प्रकरण संख्या
EP/RAJ/ROAD/7000/2014) गोरधनपुरा रो कालीगाटी तक सडक निर्माण हेतु 2.98 है० वन
भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 55 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।
परसंग - आपका पत्र क्रमांक एफ() एफ.सी.ए./उवस/2020-21/9320 दिनांक 12.10.2020 के क्रम में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत पारसंगिक पत्र के सन्दर्भ मे निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र
से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट
निम्नानुसार है -


क्र.सं.	विवरण	शर्त
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	शर्त संख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इन सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.98 है० गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
2	प्रयोज्य अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 2.98 है० पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रूपये 3,84,867/- (2.98 है० X Rs. 1,29,150 प्रति है०) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.98 है० पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.98 है० X 164100/- रु. प्रति हैक्टयर की दर से राशि 489018/- रु. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.0/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रु. 101022/- की मांग की गई थी। उक्त राशि रु. 101022/- केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 14.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। जिला कलक्टर बारां द्वारा गैर वन भूमि आवंटित करवाते समय सभी परियोजनाओं में आने वाली वन भूमि का संभावित क्षेत्रफल प्रस्ताव में लिया गया था। (प्रस्ताव दिनांक 11.09.2014 की प्रति संलग्न है।) जिला कलक्टर द्वारा आवंटित 103.40 है. वन भूमि में से विभिन्न परियोजनाओं के लिये वास्तविक भूमि आवंटित करने के पश्चात् भी 12.43 है. गैर वन भूमि अधिशेष रहती है।


बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

शर्त संख्या 3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है0) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4 है0) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।
शर्त संख्या 4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रूपये- 10.654 लाख (2.98 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 4 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रूपये- (2.98 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रु. 1865480/- केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक वारां के पत्र क्रमांक एफ.0/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रु. 988705/- एवं दण्डात्मक राशि रु. 2283348/- की मांग की गई थी। उक्त राशि रु. 988705/- एवं राशि रु. 2283348 कुल राशि रु. 3272053/- केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 14.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 5	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.बी. की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा जाएगी।	शर्त संख्या 5 के तहत शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई राशि के भुगतान को जमा कराने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 6	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4' फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त संख्या 6 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊंचे आर सी सी. पिल्लरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त संख्या 7 के तहत वन क्षेत्र में सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जायेगा। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण के दौरान किसी तरह का मक उत्पादित नहीं होगा। अतः शर्त सं. 7 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 8	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल, जाजू, बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग	शर्त सं. 8 की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा डमकपंद पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रबंधन विभाग के स्वीकृत तकमिने में नहीं लिया गया है।

बसन्त कुमार गुप्ता
अधियाजी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

	की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	
शर्त संख्या 9	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	शर्त संख्या 9 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों की पालना हेतु अपडेटेड डेफिनिंग संलग्न है।
	भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित ऊपर समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।	संलग्न कर दी गई है।


 (हरि प्रसाद मीना)
 अधिशाषी अभियन्ता
 सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


बसन्त कुमार गुप्ता
 अधिशाषी अभियन्ता
 सार्वजनिक निर्माण विभाग
 खण्ड-शाहाबाद

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No., 01451-230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2023-24/ 5851
निमित्त:-

दिनांक 24-5-2024

रांभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :- गोरधनपुरा से कालीमाटी सड़क निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।
Proposal no.FP/RJ/ROAD/6954/2014 (2.96 ha)

संदर्भ:- अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद के पत्र क्रमांक
55 दिनांक 18.04.2024 के कम में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जल परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र क्रमांक 225 दिनांक 04.08.2016 को प्रकरण में रौद्वान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है :-


शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	शर्त संख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.98 है० गैर वन भूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमावन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 2.98 है० पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथारांशोचित) रूपये 3,84,867/- (2.98 है० RS. 1,29,150 प्रति है०) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.98 है० पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.98 है० 164100/- रु. प्रति हैक्टर की दर से राशि 489018/- रु. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कापोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। 101022/- केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 14.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 3	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु जो सम्बन्धित क्षेत्र (103.4 है०) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सम्बन्धित क्षेत्र (103.4 है०) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।
शर्त संख्या 4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या	शर्त संख्या 4 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या

बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहबाद

	5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रूपये- 18.654 लाख (2.98 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) में जमा की जाएगी।	566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रूपये- (2.98 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रु. 1865480/- कम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कापरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति सालन है। अवशेष राशि रु. 988705/- एवं दण्डात्मक राशि रु. 2283348/- की माग की गई थी। उक्त राशि रु. 988705/- एवं राशि रु. 2283348 कुल राशि रु. 3272053/- कम्पा नई दिल्ली में दिनांक 14.03.2024 को चालान द्वारा यूनिशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा प्रमाणित प्रति सालन है।
शर्त संख्या 5	प्रयोक्ता अभिकरण इस आपय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा जाएगी।	शर्त संख्या 5 के तहत शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में बढोत्तरी होने पर बढी हुई राशि के भुगतान को जमा कराने हेतु अण्डर टेकिंग सालन है।
शर्त संख्या 6	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा रतन्नों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4' फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देपांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त संख्या 6 के तहत वन क्षेत्र में 4 फीट ऊँचे आर.सी.सी. पीलरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग सालन है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिसपोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त संख्या 7 के तहत वन क्षेत्र में सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जायेगा। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण के दौरान किसी तरह का मक उत्पादित नहीं होगा। अतः शर्त सं. 7 की अनुपालना में मक डिसपोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी। अण्डर टेकिंग सालन है।
शर्त संख्या 8	प्रयोक्ता अभिकरण इस आपय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (छळज) सेंट्रल जोन बेंच, गोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल, जाजू, वनाग राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा डमकपंद पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	शर्त सं. 8 की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा Median (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नहीं लिया गया है।
शर्त	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा	शर्त संख्या 9 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं


बसन्त कुमार गुप्ता
 अधिशाषी अभियन्ता
 सार्वजनिक निर्माण विभाग
 खण्ड-शाहाबाद

2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।	
---	--



(अनिल यादव)

उप वन संरक्षक

वारां


दिनांक 24-5-2024

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/5852
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, थ. नोडल अधिकारी राज 0 जयपुर।
2. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद।


(अनिल यादव)

उप वन संरक्षक

वारां


बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक : 55

दिनांक : 18/4/2024

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
बारां।

विषय :- जनदप बारन में आर0आर0एस0एम0पी0 योजना के तहत (प्रकरण संख्या FP/RAJ/ROAD/7000/2014) गोरघनपुरा से कालीमाटी तक सड़क निर्माण हेतु 2.98 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एव 55 वृक्षों के पालन की अनुमति हेतु।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक एफ() एफ.सी.ए./उवस/2020-21/9320 दिनांक 12.10.2020 के क्रम में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है :-


क्र.सं.		
शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	शर्त संख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.98 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 2.98 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रूपये 3,84,867/- (2.98 है0 X Rs. 1,29,150 प्रति है0) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.98 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.98 है0 X 164100/- रु. प्रति हैक्टयर की दर से राशि 489018/- रु. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ()/एफ.सी.ए./उ.व.स. /2022-23/536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रु. 101022/- की मांग की गई थी। उक्त राशि रु. 101022/- केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 14.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। जिला कलक्टर बारां द्वारा गैर वन भूमि आवंटित करवाते समय सभी परियोजनाओं में आने वाली वन भूमि का संभावित क्षेत्रफल प्रस्ताव में लिया गया था। (प्रस्ताव दिनांक 11.09.2014 की प्रति संलग्न है।) जिला कलक्टर द्वारा आवंटित 103.40 है. वन भूमि में से विभिन्न परियोजनाओं के लिये वास्तविक भूमि आवंटित करने के पश्चात् भी 12.43 है. गैर वन भूमि अधिशेष रहती है।


बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

शर्त संख्या 3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है०) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4 है०) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।
शर्त संख्या 4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रूपये- 18.654 लाख (2.98 है० X Rs. 6.26 लाख प्रति है०) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 4 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रूपये- (2.98 है० X Rs. 6.26 लाख प्रति है०) की दर से राशि रु. 1865480/- कम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.०/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रु. 988705/- एवं दण्डात्मक राशि रु. 2283348/- की मांग की गई थी। उक्त राशि रु. 988705/- एवं राशि रु. 2283348 कुल राशि रु. 3272053/- कम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 14.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 5	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.बी. की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा जाएगी।	शर्त संख्या 5 के तहत शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई राशि के भुगतान को जमा कराने हेतु अप्ण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 6	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4' फीट ऊँचे आर०सी०सी० पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी०जी०पी०एस० निर्देशांक, Backword and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त संख्या 6 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊँचे आर.सी.सी. पिल्लरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अप्ण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त संख्या 7 के तहत वन क्षेत्र में सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जायेगा। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण के दौरान किसी तरह का मक उत्पादित नहीं होगा। अतः शर्त सं. 7 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी। अप्ण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 8	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई०आर०सी० के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल, जाजू, बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग	शर्त सं. 8 की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा डमकपंद पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नहीं लिया गया है।


बसन्त कुमार गुप्ता
 अधिशाषी अभियन्ता
 सार्वजनिक निर्माण विभाग
 खण्ड-शाहाबाद

	की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	
शर्त संख्या 9	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	शर्त संख्या 9 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
	भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।	संलग्न कर दी गई है।


 (हरि प्रसाद मीना)
 अधिराषी अभियन्ता
 सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


बसन्त कुमार गुप्ता
 अधिराषी अभियन्ता
 सार्वजनिक निर्माण विभाग
 खण्ड-शाहाबाद


कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां


ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की
अनुपालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।



(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद



बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की अनुपालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.98 है० पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.98 है० X 164100/- रु. प्रति हैक्टर की दर से राशि 489018/- रु. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.0/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रु. 101022/- की मांग की गई थी। उक्त राशि रु. 101022/- केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 14.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। जिला कलक्टर बारां द्वारा गैर वन भूमि आवंटित करवाते समय सभी परियोजनाओं में आने वाली वन भूमि का संभावित क्षेत्रफल प्रस्ताव में लिया गया था। (प्रस्ताव दिनांक 11.09.2014 की प्रति संलग्न है।) जिला कलक्टर द्वारा आवंटित 103.40 है. वन भूमि में से विभिन्न परियोजनाओं के लिये वास्तविक भूमि आवंटित करने के पश्चात् भी 12.43 है. गैर वन भूमि अधिशेष रहती है।


बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद


(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com


अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4 है0) का डिजिटल मानचित्र सलमन है।



बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद



(हिर प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां


ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रुपये- (2.98 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रु. 1865480/- केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.0/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रु. 988705/- एवं दण्डात्मक राशि रु. 2283348/- की मांग की गई थी। उक्त राशि रु. 988705/- एवं राशि रु. 2283348 कुल राशि रु. 3272053/- केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 14.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।


(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com


अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से करवाकर गैर वन भूमि का हस्थानान्तरण वन को कर दिया जायेगा। प्रतिलिपि संलग्न कर दी गई है।



बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद



(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com


अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।



बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद



(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com


अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि गोर्धनपुरा से कालीमाटी सड़क भराव (Embankment) में बनायी जावेगी। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी तरह का मक उत्पादित नहीं होगा। अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी।



बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद



(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां
ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com


अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नहीं लिया गया है।



बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद




(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां
ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।


बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद


(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता


प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं को अन्तर्गत जिला
बारा में द्वारा आदेश क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से विभिन्न
वन भूमि (103.40 हे०) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

तहसील अन्ता ग्राम तारा की विभिन्न सड़कियों अनुसार वर्णित गैर वनभूमि
वापसी कार्य हेतु अपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई
अतिक्रमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर
रजिस्ट्री से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

श्रेणी	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हेक्टर)
	तारा	368	2.25
	कुल	1 कित्ता	2.25

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक  (अनन्द शर्मा (क.र.))


2 नाका प्रभारी  06/09/17


3 क्षेत्रीय वन अधिकारी


राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारा

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 हल्का पटवारी  06/09/17

2 कानूनगो 
अनन्द शर्मा
6-9-17


(अशोक सनाद)
अधिसाधी अभियन्ता
खण्ड-शाहाबाद



बसन्त कुमार गुप्ता
अधिसाधी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विहित सार्वजनिक परियोजनाओं के अन्तर्गत वन
 अधिकारी द्वारा अर्द्ध नमूना नं. 720-26 दिनांक 07.07.2017 में प्रमाणित
 वन नमूना (1103.40 हेक्टर) का विभाग के नाम आवंटित की गई है।

राज्यीय अन्तर्गत वन अधिकारी की विनियमों के अनुसार वनित वन नमूना
 आवंटित करने के लिए प्रस्ताव है यह वन नमूना से लजवा है इसमें किसी प्रकार का नुक़
 फ़ायदे की इस कार्यालय द्वारा नुक़ पर लजवा सम्भाल ली गई है।

वर्ग	विवरण	संख्या नं.	रकबा (हेक्टर)
	पान	1175	19.78
	खोखर	1173	19.15
	योग	2 कित्ता	38.91

प्रस्तावित जमीन का नमूना लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1. वनसूचक

2. वन प्रवर्तक


3. क्षेत्रीय वन अधिकारी

4. वन अधिकारी

5. वन नमूना

राजीव कपूर
 सप वन संरक्षक
 बाराँ

राजीव कपूर
 सप वन संरक्षक
 बाराँ


 बसन्त कुमार गुप्ता
 अधिशाही अभियन्ता
 सार्वजनिक निर्माण विभाग
 खण्ड-शाहाबाद


बसन्त कुमार गुप्ता
 अधिशाही अभियन्ता
 सार्वजनिक निर्माण विभाग
 खण्ड-शाहाबाद

ALWAYS
 No. S/2
 Register No.
 And Name
 Pen. E-1
 Used in
 Station
 18/08/17
 PUNCH
 10/08/17

Chikmagalur District


कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता


प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सड़क योजना/जबाजा के अन्तर्गत जिला
 सड़क द्वारा आदेश क्रमांक 120-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार
 गैर वनभूमि (103.40 है०) वन विभाग को नाम आवंटित की गई है।

तहसील अन्ता गाम बिलेण्टी की विनियमनानुसार अनुसार वर्णित गैर वनभूमि
 आवंटित कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई
 अधिकरण एवं व्यापिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर
 नियमों से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	तहसील	गाम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर)
	अन्ता	बिलेण्टी	39	13.20
			41	5.00
			43	6.52
			114	5.60
			115	9.58
			116	7.70
			138	10.81
			149	3.63
		योग	योग	62.24

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक  (नरेंद्र शर्मा (घ.र.))


2 नाका प्रमारी  06/09/17


3 क्षेत्रीय वन अधिकारी


अन्ता क्षेत्रीय वन अधिकारी
 अन्ता क्षेत्रीय वन अधिकारी

राजीव कपूर
 उप वन संरक्षक
 बाराँ


हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी


1 हल्का पटवारी  (श्रीमती अ. लक्ष्मी) 06/09/17

2 कानूनगो  06/09/17

 06/09/17


 राजीव कपूर
 उप वन संरक्षक
 बाराँ


 (अशोक सनाढ्य)
 अधिसाधी अभियन्ता
 स.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


बसन्त कुमार गुप्ता
 अधिसाधी अभियन्ता
 सार्वजनिक निर्माण विभाग
 खण्ड-शाहाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिनिधि)

नाम :- साधा

हस्ताक्षर :- मानपुरा

पति नि. :- खजूरनाकला

पत्नी :- अन्ता

पता :- बानी

अंतिम खोसला आधार संख्या :- 2073 - 2076 तमावती 2076 (वर्ष 2019) में
स्थापी

भूमि धारक का नाम :- राज मन्कार

खेवटन की ईकाई :- टैकेटर

खोसला संख्या नया :- 105

खोसला संख्या पुराना :- 100

अनुमति का नाम :-

1. उपवन संरक्षक द्वारा वन विभाग हिम्सा- पूर्ण संख्या के लिए

संख्या संख्या क्षेत्रफल भूमि वर्गीकरण

कृषक द्वारा
मंदत लगान

सिंचाई के माध्यम

अनुमति के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण
संख्या व दिनांक

दिनांक


368 2.2500 जंगलान 2.2500 0.00

संख्या खमरे - 1 2.2500 2.2500

अनुमति केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

उसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

अनुमति जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020


(अशोक कुमार)
अधिसहायी प्रतिनिधि
ख. नि. वि. खण्ड शाहाबाद



बसन्त कुमार गुप्ता
अधिसहायी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोना)
(प्रतिनिधि)

अंतिम बीयना अधार संख्या :- 2075 - 2078 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2019) म
स्थायी
भूमि धारक का नाम - राज सरकार
क्षेत्रफल की इकाई - हेक्टेयर
खाता संख्या नया :- 617
खाता संख्या पुराना :- 1

नाम :- मोरमन
पता :- मोरमन
जिला :- अन्ता
तहसील :- बार्गी

कार का नाम :-

वन विभाग 293 हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए
संख्या क्षेत्रफल भूमि वर्गीकरण कृषक द्वारा संदल लगान सिंचाई के माध्यम अन्तर्गत के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण टिप्पणी संख्या व दिनांक


संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदल लगान	सिंचाई के माध्यम अन्तर्गत के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक
173	19.1500	सै.मु.जंगल	19.1500	0.00
175	19.7600	सै.मु.जंगल	19.7600	0.00
176	2.0000	सै.मु.जंगल	2.0000	0.00
1177	18.6600	सै.मु.वण्डा	18.6600	0.00
127	26.0000	सै.मु.जंगल	26.0000	0.00
1528	32.8500	सै.मु.जंगल	32.8500	0.00
1529	31.5000	सै.मु.जंगल	31.5000	0.00
1530	17.6000	सै.मु.जंगल	17.6000	0.00
1531	21.0000	सै.मु.जंगल	21.0000	0.00
1532	20.0000	सै.मु.जंगल	20.0000	0.00
1533	15.0000	सै.मु.जंगल	15.0000	0.00
1543	12.4900	सै.मु.जंगल	12.4900	0.00
1544	11.4500	सै.मु.जंगल	11.4500	0.00
1548	24.3600	सै.मु.जंगल	24.3600	0.00
1552	20.0000	सै.मु.जंगल	20.0000	0.00
1781	15.2600	सै.मु.जंगल	15.2600	0.00
1784	6.3100	सै.मु.जंगल	6.3100	0.00
1785	9.0000	सै.मु.जंगल	9.0000	0.00
1786	9.0000	सै.मु.जंगल	9.0000	0.00
1787	9.0000	सै.मु.जंगल	9.0000	0.00
1788	9.0000	सै.मु.जंगल	9.0000	0.00
1789	9.0000	सै.मु.जंगल	9.0000	0.00
1790	13.3400	सै.मु.जंगल	13.3400	0.00
1791	6.0000	सै.मु.जंगल	6.0000	0.00
1795	12.0000	सै.मु.जंगल	12.0000	0.00
1796	11.1000	सै.मु.जंगल	11.1000	0.00
1796/1968	0.9000	सै.मु.जंगल	0.9000	0.00
1797	8.0000	सै.मु.जंगल	8.0000	0.00
1797	12.0000	सै.मु.जंगल	12.0000	0.00
1798	7.5600	सै.मु.जंगल	7.5600	0.00
1799	20.0600	सै.मु.जंगल	20.0600	0.00
2136/1524	20.0600	सै.मु.जंगल	20.0600	0.00


(Handwritten Signature)
अधिसूचना
जमाबन्दी अधिसूचना

बसन्त कुमार गुप्ता
अधिसूचना अधिसूचना
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

25	21.3800	मै.मू.जमान	21.3800	
26	16.0600	मै.मू.जमान	16.0600	0.00
27	16.0600	मै.मू.वर्डा	16.0600	0.00
34	502.8500		502.8500	

केवल पार्सी की जानकारी के लिए है।
 प्रयोग किसी भी न्यायालय में पार्सी के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020


 (अशोक सार्दा)
 अधिशाही अभियन्ता
 प.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


 बसन्त कुमार गुप्ता
 अधिशाही अभियन्ता
 सार्वजनिक निर्माण विभाग
 खण्ड-शाहाबाद

ICE No.: 5/2
 Manager, N
 Malviya N
 and Open E
 be closed a
 if Descrip
 POSTION
 44 FOREIGN
 PRE PIVO
 9 BOGHE
 3R PU S
 DY WIT

जमाबन्दी (नेत्रट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

(दस्तावेज नियम 153 का)

गा नाम :- बिलेणी
गाह हल्का :- मानपुरा
अभि.नि. :- खजूरनाकला
सील :- अन्ता
ना :- बारी

अन्तिम बीगना आधार संख्या :- 2076 - 2079 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) में
स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 78
खाता संख्या पुराना :- 78


अन्तकार का नाम:-

1. उप वन संरक्षक बारा वन विभाग हेतु हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

खमरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कूपक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
114	5.8000	गै.मु.बरडा	5.8000	0.00		
115	9.5800	गै.मु.बरडा	9.5800	0.00		
116	7.7000	गै.मु.बरडा	7.7000	0.00		
138	10.8100	गै.मु.बरडा	10.8100	0.00		
149	3.6300	गै.मु.बरडा	3.6300	0.00		
39	13.2000	गै.मु.बरडा	13.2000	0.00		
41	5.0000	गै.मु.बरडा	5.0000	0.00		
42	6.5200	गै.मु.बरडा	6.5200	0.00		
कुल खमरे - 8	62.2400		62.2400			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।
नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020




(अशोक सार्दा)
अधिराधी अभियन्ता
अभि.नि. वि. खण्ड शाहाबाद


बसन्त कुमार गुप्ता
अधिराधी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 17-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6170000758
MoEF/SG File No.	8B/RJ/06/19/2015
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division ShahBaran
Amount(In Rs)	2354498/-

Amount in Words : Twenty-Three Lakh Fifty-Four Thousand Four Hundred and Ninety-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856170000758 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 17-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6170000758
MoEF/SG File No.	8B/RJ/06/19/2015
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shah Baran
Amount(In Rs)	2354498/-

Amount in Words : Twenty-Three Lakh Fifty-Four Thousand Four Hundred and Ninety-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856170000758 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Payment done by
T.V.No. 3746
28/4/19

बसन्त कुमार गुप्ता
अधिसूचक (नि.न.न.न.)

बसन्त कुमार गुप्ता
अधिसूचक अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

17-Apr-19, 11:25

कार्यालय जिला कलक्टर, बारा (राजस्थान)

क्रमांक- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/

दिनांक- फरवरी, 2017

- आदेश -

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग दूत, बारा द्वारा प्रस्तुत की गई भूमि के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के एडजस्टमेंट में 102.34 हे० गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने पर उक्त प्रयोजनार्थ सहस्रीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारा के पत्र क्रमांक 14073 दिनांक 12.09.2014 से प्राप्त सहमति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत इस कार्यालय के आवेश क्रमांक एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/8614-20 दिनांक 16.09.2014 से निम्नलिखित भूमियां वन विभाग के नाम आरक्षित (सेट-अपार्ट) की गई हैं।
उप वन संरक्षक, बारा द्वारा पत्र क्रमांक एफ()एफ.सी.ए./उवस/14-15/18782 दिनांक 10.10.2014 से उक्त आरक्षित भूमि को वन विभाग के नाम आवंटन करने की मांग करने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/ 8528-20 दिनांक 21.10.2014 से प्रकरण राजकीय स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने पर श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के पत्रांक : 2(266)राज.-3/14 दिनांक 12.02.15 से प्राप्त राजकीय स्वीकृति के आधार पर निम्नलिखित आरक्षित भूमियां को वन विभाग के नाम आवंटन किया जाता है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा नं०	रकबा (हे०)	भूमि की किरम
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20	बंजड
			41	5.00	बंजड
			42	6.52	बंजड
			114	5.80	गैर मुमकिन बरडा
			115	5.00	गैर मुमकिन बरडा
			116	7.70	बंजड
			133	10.8	बंजड
			149	3.63	बंजड
			8 किता	62.24	
			2	सोरसन	175
176	18.15	गैर मुमकिन बरडा			
2 किता	38.91				
3	ताखा	358	2.25	गैर मुमकिन बरडा	
कुल योग		11 किता	103.40 हे०		

नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(डॉ. एस. पी. सिंह)
जिला कलक्टर
बारा

क्रमांक- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/ 2014/26 दिनांक- फरवरी, 2017

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
- उप वन संरक्षक, बारा।
- अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग दूत, बारा।
- उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।
- सहस्रीलदार, अन्ता को भेजकर लेख है कि आवंटित भूमि को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना भिजवावे।
- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बारा।
- शिल प्रभावली।

जिला कलक्टर
बारा

बसन्त कुमार गुप्ता
अधिसाधी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No., 074538230244

क्रमांक 0 एफ () / एफ.सी.ए. / उ.व.स. / 2022-23 / 536

दिनांक 23/11/24

निमित्त:-

अधिशायी अभियन्ता
सा0 नि0 वि0 खण्ड शाहाबाद।

विषय :- जनपद द्वारा मे आर.आर.एस.एम.पी योजना के तहत गोरधनपुरा से कालीमाटी सड़क के निर्माण हेतु 2.98 हे0 वन भूमि प्रत्यावर्तन के क्रम में

Proposal ID NO - FP/RJ/ ROAD /7000/2014 (2.98ha)

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय लखनउ का पत्र क्रमांक 225 दिनांक 04.08.2016 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि गोरधनपुरा से कालीमाटी सड़क के निर्माण हेतु 2.98 हे0 वन भूमि प्रत्यावर्तन की प्रथम स्तरीय सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनउ का पत्र क्रमांक 225 दिनांक 04.08.2016 को जारी की गई थी।

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित बिन्दु संख्या-2 के क्रम में क्षतिपूर्ति वृद्धारोपण हेतु घन राशि

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार वेज रेट @252 से चाही गई राशि	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार वेज रेट @259 से चाही गई राशि	जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।				
	क्षेत्रफल	दर	राशि	क्षेत्रफल	दर	राशि		
1	2.98	164100	489018	2.98	198000	590040	489018	101022

2. बिन्दु संख्या - 4 के (क) के क्रम में NPV की राशि

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार तत्समय प्रचलित दर से चाही गई राशि	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार NPV की वर्तमान नवीन दर से चाही गई राशि	जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।				
	क्षेत्रफल	दर	राशि	क्षेत्रफल	दर	राशि		
1	2.98	626000	18654680	2.98	957780	2854185	1865480	988705

3. FCA उल्लंघन के क्रम में MOEF के परिपत्र दिनांक 29.01.2018 के अनुसार दण्डात्मक राशि

- a. उल्लंघन की दिनांक - 19.08.2020
b. कुल प्रभावित क्षेत्रफल - 2.98 हे0
c. NPV की राशि - 957780 प्रति हेक्टर
d. शास्ती की गणना 19.08.2020 से

$$2.98 \times 4 \times 957780 = 11416738 \text{ /-}$$

- e. यदि प्रस्ताव जन उपयोगी है तो गणना की राशि का 20% शास्ती के रूप में देय होगा इस प्रकार राशि जो जमा कराई जानी शेष है।

$$11416738 \times (20/100) = 2283348$$


बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशायी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

4. कुल राशि का विवरण

क्र.स.	मद का नाम	चाही गई राशि	पूर्व में जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।
1	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धन राशि	590040	489018	101022
2	NPV की राशि	2854185	1865480	988705
3	दण्डात्मक राशि	2283348	0	2283348
	योग	5727573	2354498	3373075

अतः अब कुल जमा होने वाली राशि 101022 + 988705 + 2283348 = 33,73,075 रु. कम्पा मद Online e-portal (<https://parivesh.nic.in/>) में जमा करवाकर रसीद इस कार्यालय में प्रेषित करे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां


दिनांक

क्रमांक 0 एफ () / एफ.सी.ए. / उ.व.स. / 2022-23 /

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति-प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
3. अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0बारां।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां


बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशायी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

Reference No : 50812272

Government Of Rajasthan
WAM Inner/Outer sheet

Department Code : 85 Department Name : Public Works Department Month/Year : Feb/2024

Detailed Wam bill of : Ex. En. P.W.D. Div. SHAHBAD (Dist.BARAN)(18438)

Bill For Works Payment : WAM Payment (Official) : 18438

Division Name : PWD SHAHBAD Reference No : 3902322 Wam Reference No : 8111 of 991889

Date : 19/02/2024 Division Code : 120 Bill No : 50812272

TAN : JH001438B Demand No : 44 DDOC Code : 18438

SF : 0.00 NonPlan : 0.00 Object Head : 21 Budget Head : 3054-03-337-01-01/5771

NA : 0.00 Contingency Head :

To, The Treasury/Sub Treasury Officer, SHAHBAD
Please Order to pay ₹ 3373075 as per the claim contained in this bill
Sign of Clerk

(Signature)
अधियाधी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड - शाहबाद

I certified that I have personally examined and satisfied myself about the guinness of claim in this bill strictly in accordance with the provisions of the Public Works Act, 1947 and the rules made thereunder and the said parties/firm details mentioned in wam bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this amount is drawn from the budget/L.C.

I certified that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.

(Signature)
Sign (With Seal) of DDO
अधियाधी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड - शाहबाद
आडो डी कोड नं- 18438

Sr.No.	Name Address Mobile	Bank Name Account No. IFSC Code Branch Name	Invoice No. Invoice Date(In Case Of Supplier)	Gross Amt Net Amt	WAMID आडो डी कोड नं- 18438
1	Rajasthan Campa 8 Bengaluru 9414286802	UNION BANK OF INDIA 150856170000368 UBIN0996335 FCS BANGALORE	0 1/1/1900 12:00:00 AM	3373075.00 3373075.00	3902322

Gross Amount Rs. 3373075.00 B.T.Amount: Rs. Net Amount Rs. 3373075.00

Amount In Words : THIRTY THREE LAKH SEVENTY THREE THOUSAND AND SEVENTY FIVE. Only

Sign Of DDO with Seal and Original Sign of DDO
अधियाधी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड - शाहबाद

For Accountant General Office		Treasury	
Admitted ₹	No:	Pay ₹	Date
Objected ₹		3373075.00	19/02/2024
	(In Words) :	THIRTY THREE LAKH SEVENTY THREE THOUSAND AND SEVENTY FIVE ONLY	
	B.T. Heads :		
	Total :	3373075.00	
	(In Cash) ₹ :	3373075.00	
	(In Words) :	THIRTY THREE LAKH SEVENTY THREE THOUSAND AND SEVENTY FIVE ONLY	
Auditor	Supdt	Gaz. Officer	Auditor
			AAO-III
			Treasury/Sub Treasury Officer ES

Disclaimer : All contents related to this bill are provided by Head of Office/DDO and he/she is solely responsible for it. Forward To :
SW Courtesy National Informatics Centre, Rajasthan State Unit (http://paymanagar.ra.nic.in) Group Name:3054 SHW Print Date & Time 19/02/2024 05:35:17

(Signature)
बसन्त कुमार गुप्ता
अधियाधी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड - शाहबाद

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

FORM R F W A 49

Public Works Department, Jalpur

No. & Date:

Ref No.: 1383, Dated: 19/02/2024

PayManager Ref. Id(s): 3902322

Division Name: Ex. En. P.W.D. Div. SHAHBAD
Dist. BARAN

Division Code: 18436

HAND RECEIPT HR Payments for Govt Dep/Govt Agency

(Referred to in PWF&A Rules 418, 424, 436 and 438)

To be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special from 24 and 26 are sutable)

Work: Deposit amount for repatration of forest Land of various road in PWD DN Shahabad

Vendor Name: Rajasthan Campa 8

Sanction/Autorfzation/BillNo: 6170000368 Dated: 19/02/2024

Reason: N/a

Bank AccountNo.- 150856170000368

Bank IFSC Code: UBIN0996335

Total amount payable to the contractor or supplier in Figures: 33,73,075
(In Words): Rupees Thirty Three Lakh Seventy Three Thousand Seventy Five Only

Debit Heads / Payment From:

S No.	Head Code	Amount	Remarks
1	3054-03-337-01-01-21-V-P	3373075	WorkId: 182145

Deductions/Recoveries:

S No.	Head Code	Amount	Remarks
-------	-----------	--------	---------

This Bill will break in following part(s) for PayManager (First column will be RefNo to pull it on PayManager)

Ref No.	Head Code	Amount Cr	Amount Dr	Remarks
3902322	3054-03-337-01-01-21-V-P		3373075	WorkId: 182145
	Payment Through Treasury	3373075		


Net Amount Payable In Figures: 33,73,075


Net Amount Payable In Words: Rupees Thirty Three Lakh Seventy Three Thousand Seventy Five Only

Certified that :

1. The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory.
2. The Payment of this bill is not drawn previously.
3. Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
4. Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
5. All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
6. No tools & Plants has been issued to the Contractor.
7. Material has been used by Contractor as per Specifications.

Dated:


कमलेंद्र
सहाय्यक सहायक
प. नि. वि. चण्ड शाहाबाद


For use in Divisional Office
अधिसाधी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड - शाहाबाद
आई. सी. कोड नं. - 18436
Printed on 2/19/2024 3:34:13 PM

बसन्त कुमार गुप्ता
अधिसाधी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

Scanned by CamScanner

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहाबाद

क्रमांक : 1141

दिनांक : 19/02/2024

कार्यालय आदेश

इस खण्ड कार्यालय द्वारा Rajasthan Campa के विल प्राप्त संख्या 6170000368 दिनांक 19.02.2024 राशि रु. 3373075.00 को बजट मद 3054-03-337-01-01-21 VP के Deposit Amount for Reoatration of Forest Land of Various road in PWD Shahabad की स्वीकृति में वन विभाग Clearance के तहत भारित कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।
(गोरेखनपुरा से कालीमाटी)

क्रमांक : 1141


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है:-

1. उपकोषाधिकारी, उपकोष कार्यालय शाहाबाद ।
2. रक्षित पत्रावली ।



अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

दिनांक : 19/02/2024



अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद



बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

NEFT / RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

यूनियन बैंक
of India
Union Bank
of IndiaJITNET
Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 19-02-2024

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6170000368
MoEF/SG File No.	BB/RJ/06/19/2015
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division Shahabad, Bus stand Pin- 325217 Baran
Amount(In Rs)	3373075/-

Amount In Words :Thirty-Three Lakh Seventy-Three Thousand and Seventy-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856170000368 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक
of India
Union Bank
of IndiaJITNET
Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 19-02-2024

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6170000368
MoEF/SG File No.	BB/RJ/06/19/2015
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shahabad, Bus stand Pin- 325217 Baran
Amount(In Rs)	3373075/-

Amount In Words :Thirty-Three Lakh Seventy-Three Thousand and Seventy-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856170000368 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Passed For Rs 3373075/- only
[Rs Thirty Three Lakh Seventy Three Thousand.
Seventy Five only]

अधिसायी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड - शाहाबाद
आई० टी० कोड नं०-18436

बसन्त कुमार गुप्ता
अधिसायी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

https://forestclearance.nic.in/useraccount/Neft_ChallanCorp.uspx?BLD=ROAD70002014368

Land to be allotted to Forest Department

21/9/14 cm
15/17

PWD circle Baran


As on 11.09.2014

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in Hectare)	Remarks
Old Cases						
1	Chhabra	Chhabra	PMGSY	पाटरी से भटगाव		18
2	Shahbad	Shahbad	PMGSY	पाटरी से भीमपुर	1.50	
				घोग	2.60	
New Cases						
1	Chhabra	Chhabra	5054 / RURAL ROAD	हिमलोट से मटनाखेड़ी वाया हरिपुरा	3.00	
2	Chhabra	Chhabra	5054 / SHW	कोटा भरनावदा सड़क	13.58	
3	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	खल्दा से खल्दी	0.61	
4	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	कदीली से तादखेडा ✓	3.20	
5	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	भागोपुरा से जेतपुरा ✓	4.00	
6	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	दिकोनिया से तलागडा ✓	7.50	
7	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	मेहरपुरा से झिरी ✓	4.00	
8	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	बिची से रामपुर उपरेटी ✓	2.50	
9	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	एनएच-78 कि.मी. 573/0 से चुम ✓	2.50	
10	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर से बतरा ✓	0.53	
11	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (Missing Link)	गरडा से जैसावा ✓	4.00	
12	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (RSAMB)	करनाथाना से बगनवदा ✓	5.20	
13	Shahbad	Shahbad	RRSMP	उनी केदारकुई से तिलौरा ✓	3.00	
14	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	खायवा से हरिपुरा ✓	1.00	
15	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	जलवाडा से किरानपुरा ✓	3.00	
16	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	गोरधनपुरा से घट्टा ✓	0.50	
17	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	खण्डेला से हलायनी ✓	2.00	
18	Shahbad	Shahbad	RRSMP	बीलखेडा डांग से पाटन ✓	1.00	
19	Shahbad	Shahbad	RRSMP	केदारकुई से मुहाल ✓	7.00	
20	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	भवरगढ से रनवासी ✓	2.50	
21	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रनवासी से रनवासा ✓	0.80	
22	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	गोरधनपुरा से कालीमाटी ✓	3.00	
23	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रामगढ काला पट्टा सड़क किमी 2/500 से करवाला लक्ष्मीपुरा ✓	2.00	
24	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	करवरी खुई से बामनदेह ✓	4.20	
25	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	लकडाई से भागली वाया हुजंगपुरा ✓	1.00	
26	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	भागली लक्ष्मीपुरा पटपडी सड़क ✓	3.00	
27	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर गुण्डेधर सड़क (रामपुर उपरेटी) से ईसाटोरी ✓	4.00	
28	NH Division	Alru		कवाई	3.25	

बसन्त कुमार गुप्ता
अधिसायी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद



S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in Hectare)	Remark
1	2		3	4	6	18
29	NH Division	Atru		खेडली गादिया	1.02	
30	NH Division	Atru		सिंगनी जागीर	1.21	
31	NH Division	Chpabarod		बरडागदा	0.44	
32	NH Division	Chpabarod		फास्त्या जागीर	1.66	
33	NH Division	Chpabarod		नयापुरा	4.92	
				मोग	98.24	
				कुल योग	102.34	

सुमित कपुर्नी
 वनोपकरण अभियन्ता
 वनविभाग, कोल्हाम, गुजरात


बसन्त कुमार गुप्ता
 अधिशाही अभियन्ता
 सार्वजनिक निर्माण विभाग
 खण्ड-शाहाबाद

LAYOUT PLAN OF ALTERNATE LAND FOR FOREST

KHARWA NO. 30, 41, 42, 114, 115, 116, 120, 140 (Village: BILANDI) KHARWA NO. 1173, 1175 (Village: KOPKOP) KHARWA NO. 202 (Village: THOUKI)
 Tehsil : ANTA, Distt. BARAN



SCHEDULE PARTIAL			
NO.	AREA	REMARKS	STATUS
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

बसन्त कुमार गुप्ता
 अधिशाषी अभियन्ता
 सार्वजनिक निर्माण विभाग
 खण्ड-शाहाबाद

der documents and all other documents downloaded from the website
Director (Tender Inviting Authority)

SUPPLY OF STORES ITEMS THROUGH E-PROCUREMENT TENDERS
20/28 Date: 09.09.2020

Western Railway, Headquarter 4th Floor, Jaipur-302017 for and on behalf of orders on www.irpe.gov.in site as 14.25 hrs.

Sl. No.	Qty	Unit	Due date
BRAKE STOCK	14805	Nos.	29.09.2020
BOTTOM	1659	Nos.	08.10.2020
E BEARER	14039	Nos.	08.10.2020
SHANK	1342	Nos.	08.10.2020

Sl. No.	Amended Qty	Existing Due Date	Amended Due Date
28		10.09.2020	29.09.2020

may visit the website for Full tender cost etc. All tenders are to be registered on above site and participating in other tenders such as. Limited tenders, special limited tenders, etc. For any information centre, click our website

Dy. CMM/III

IR RAILWAY
Trains of Special Trains

To	Day	Date
Ajmer	Daily	From 12.09.20
Jabalpur	Daily	From 13.09.20
Jaipur	Daily	From 12.09.20
Jayagraj	Daily	From 13.09.20
Lalgarh	Daily	From 12.09.20
Lath	Daily	From 15.09.20
Math	Sunday, Friday	From 13.09.20
Math	Tuesday, Sunday	From 15.09.20
Math	Daily	From 12.09.20
Math	Daily	From 13.09.20
Mysore	Monday, Wednesday	From 14.09.20
Math	Thursday, Saturday	From 17.09.20
Math	Daily	From 12.09.20
Math	Daily	From 13.09.20

Website: www.indianrail.gov.in
Detailed accommodation is available on website.
No follow all protocols related to COVID-19 etc.
754-AJ/20
NWR Railways

PETRONET LNG LIMITED, DATES

Petronet LNG Limited (PLL) invites bids from experienced and financially sound contractors for following services at Petronet LNG Ltd. Dahanu (Gujarat)

1. Painting of LNG Storage Tanks
2. Replacement of GI Roof Sheet
3. Maintenance Dredging Services

Interested parties are requested to visit our website www.petronetltd.com for detailed eligibility criteria along with other necessary details for issuance of Tender document

Note: PLL reserves the right not to issue the tender document and / or accept or reject any or all the bids at any stage of the process AND/OR modify the process without assigning any reason on its sole discretion. No separate notification shall be issued in press. Bidders are requested to visit the website regularly to keep themselves updated.

Deputy General Manager (CAP)
PETRONET LNG LIMITED

GIDC Industrial Estate, Plot No. 7/A, Dahanu, Taluka Vagra
Dist. Bharuch-392130, Dahaj, Gujarat, Tel No. 02841-670232/233/235/231
E-mail id - materials@petronetltd.com

That none of its officials entered the premises by threatening or roughing up the security guard or anyone else.

The "Queen" actor's recent remark comparing Mumbai to Pakistan-occupied-Kashmir (PoK) has drawn the ire of the Shiv Sena which controls the BMC besides leading the ruling coalition in Maharashtra.

The action by the BMC followed Ranaut's public tiff with the party.

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम मंज, संयुक्त-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
2324047, 2324025 Email : (Env.)m_env@rediffmail.com, (Forest) goimofrako@gmail.com
फ़ोन नं. 051-राज./06/19/2018-सू.सं./223
दिनांक : 04.08.2018

ऑनलाइन आवेदन संख्या - FR/RJ/Road/7000/2014
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संयुक्त-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संयुक्त-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

1. आवेदन पत्रों में आर.आर.एच.पी. संख्या को मध्य प्रदेश सरकार से कार्यालयी तह तक पहुंचाने हेतु 2.98 रु. का शुल्क निर्धारित है।
2. आवेदन पत्रों में आर.आर.एच.पी. संख्या को मध्य प्रदेश सरकार से कार्यालयी तह तक पहुंचाने हेतु 2.98 रु. का शुल्क निर्धारित है।
3. आवेदन पत्रों में आर.आर.एच.पी. संख्या को मध्य प्रदेश सरकार से कार्यालयी तह तक पहुंचाने हेतु 2.98 रु. का शुल्क निर्धारित है।
4. आवेदन पत्रों में आर.आर.एच.पी. संख्या को मध्य प्रदेश सरकार से कार्यालयी तह तक पहुंचाने हेतु 2.98 रु. का शुल्क निर्धारित है।
5. आवेदन पत्रों में आर.आर.एच.पी. संख्या को मध्य प्रदेश सरकार से कार्यालयी तह तक पहुंचाने हेतु 2.98 रु. का शुल्क निर्धारित है।
6. आवेदन पत्रों में आर.आर.एच.पी. संख्या को मध्य प्रदेश सरकार से कार्यालयी तह तक पहुंचाने हेतु 2.98 रु. का शुल्क निर्धारित है।
7. आवेदन पत्रों में आर.आर.एच.पी. संख्या को मध्य प्रदेश सरकार से कार्यालयी तह तक पहुंचाने हेतु 2.98 रु. का शुल्क निर्धारित है।
8. आवेदन पत्रों में आर.आर.एच.पी. संख्या को मध्य प्रदेश सरकार से कार्यालयी तह तक पहुंचाने हेतु 2.98 रु. का शुल्क निर्धारित है।
9. आवेदन पत्रों में आर.आर.एच.पी. संख्या को मध्य प्रदेश सरकार से कार्यालयी तह तक पहुंचाने हेतु 2.98 रु. का शुल्क निर्धारित है।
10. आवेदन पत्रों में आर.आर.एच.पी. संख्या को मध्य प्रदेश सरकार से कार्यालयी तह तक पहुंचाने हेतु 2.98 रु. का शुल्क निर्धारित है।

(Signature)
अधिकांशी अभियन्ता
नि.सि.सि. खण्ड नारायाण
भारतीय
(अभियन्ता)
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

बसंत कुमार गुप्ता
अधिकांशी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

पत्रिका ब्यूरो

परिवर्तन
मध्य)
d Climate
Region)



1, लखनऊ-226024
Aliganj, Lucknow-
243006 2324025
gimoeofrolko@gmail.com
दिनांक :- 23.08.2016

16954/2014

त जलवाड़ा से किशनपुरा तक
क पातन की अनुमति हेतु।
री, जयपुर का पत्रांक-एफ 14
क 06 07 2016

का आशय ग्रहण करने का
अधिनियम, 1980 की
एवं अतिरिक्त सूचना
ई गई है।

का निर्देश हुआ है कि केन्द्र
तहत जलवाड़ा से किशनपुरा
न बिना वृक्षों के पातन की
गा।

त वन क्षेत्र के समतुल्य गैर
10 वर्षों तक रखरखाव हेतु
हुए यथासंशोधित) रूपये-

दिल्ली में जाम की जाएगी।
विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण
आरक्षित/संरक्षित वन भूमि
रने के पश्चात इस कार्यालय



भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate
Change Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-
226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324347, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com
पत्र सं. 8वीं/राज./06/19/2015/एफ.सी./225 दिनांक :- 04.08.2016
सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन)

सिविल सचिवालय राजस्थान शासन जयपुर।

ऑनलाइन आवेदन संख्या- FP/R.I/Road/7000/2014

विषय :- जनपद वारन में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत गोरघनपुरा से कालीमाटी तक सड़क निर्माण हेतु 2.98 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 55 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

सन्दर्भ :- अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर का पत्रांक-एफ 14 (Baran Road)/2014/एफ.सी.ए./प्रमुवसं/1971, दिनांक 06.07.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित ऑनलाइन आवेदन का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है एवं अतिरिक्त सूचना दिनांक -09 फरवरी 2016 को ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है।

प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक :- 04.12.2015 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गई है जिसकी अनुपालन आख्या अति. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत की गई अनुपालना पर विचारोपरांत मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद वारन में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत गोरघनपुरा से कालीमाटी तक सड़क निर्माण हेतु 2.98 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 55 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है।

1. वन भूमि वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

2. प्रयोक्त अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 2.98 हे. पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रूपये- 3,84,867/- (2.98 हे. x Rs.1,29,150 हे.) में जमा की जाएगी।

उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

3. क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 हे.) लिया गया है, उसका डिजिटल

बरान्त कुमार गुप्ता
आधिसाधी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

दिल्ली में जाम की जाएगी।
विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण
में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि
करने के पश्चात इस कार्यालय

लिया गया है, उसका डिजिटल

य के रिट पिटीशन (सिविल)
ार के पक्ष संख्या 5-3/2007-
शानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य
.xRs. 6.26 Lakh per

घनराशि की ऑनलाईन
गू हो) की छायाप्रति सहित
की गई घनराशि का मदवार
जमा घनराशि का
स्वीकृति पर विचार किया

गेमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन
न 4" फीट ऊंचे आर.सी.सी.
क डी.जी.पी.एस. निर्देशांक,
निकटवर्ती पीलरों से दूरी

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा

ता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि
हरित अधिकरण (NGT)
015 बाबूलाल जाजू बनाम
आदेश की अनुपालना में
की निगरानी में सड़क के
रोपण किया जाएगा।

विषय में योजना पर लागू

स्ट परिपालन आख्या इस
1227 दिनांक - 02 फरवरी,
म, 1980 के तहत विधिवत
तान्तरण की कार्यवाही राज्य
स्तान्तरण के विधिवत आदेश

भवदीय

(अमित मिश्र)

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

ज.सं.००१/२०१६ (२.९८ हे. xRs. ६.२६ लाख) में जमा की जाएगी।

उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के वाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण
एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित
किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा
विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

3. क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 हे.) लिया गया है, उसका डिजिटल
मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल)
202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पक्ष संख्या 5-3/2007-
एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिए गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.)
की निर्धारित राशि रुपये-18.654 लाख (2.98 ha.xRs. 6.26 Lakh per ha.) में जमा
की जाएगी।

इसके उपरांत पावती की छायाप्रति, जमा की गई घनराशि की ऑनलाईन रसीद/बैंक
ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस. /एन.एफ.टी (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक
स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई घनराशि का मदवार विवरण अर्थात्
एन.पी.वी. क्षतिपूर्क वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा घनराशि का विवरण, दिया गया हो)
प्रेषित की जाए, तदोपरांत ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर
से यदि एन.पी.वी. की घनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुई घनराशि प्रयोक्ता
अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

6. विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन
प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। वह सीमांकन 4" फीट ऊंचे आर.सी.सी.
पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक,
Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी
जाएगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मंक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत
कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

8. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई.आर.सी.
के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बैंच,
भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में
दिनांक -16.11.2015 में दिए गए आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता में अभिकरण द्वारा
स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर
(यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।

9. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू
सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय
के पत्र-II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक - 02 फरवरी, 2016 के
अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति
जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार
द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत आदेश भारत
सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।




भवदीय

(अमित मिश्र)

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

शिवा। गम्पादक- कुश कुमार मिश्रा फोन नम्बर 07453-231509, 236563, Email Id :- patrikabeauro@gmail.com *

बसन्त कुमार गुप्ता
अभिधात्री अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहवाड़



बसन्त कुमार गुप्ता
अधिसाधी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद